—: अधिसूचना :—

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 911—15/भवन निर्माण—2010, दिनांक 16.09.2010 के माध्यम से **दुर्घटना सहायता योजना** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या—1474/छत्तीस— 2—12—251 (एस0एम0)/95, टी0सी0—11, दिनांक 06.09.2013 के माध्यम से बोर्ड कार्यालय की अधिसूचना संख्याः 3962—4092/भवन निर्माण—2011(95), दिनांक 30.06.2011, द्वारा निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुये पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत योजना के प्रस्तर—4 ''हितलाभ/अनुग्रह धनराशि का विवरण'' में निम्न प्राविधान संशोधित किये गये हैंः—

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में देय हितलाभ रू0 2,00,000/— होगा।
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के कारण हुई स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में देय हितलाभ रू0 80,000/— होगा।
3. इस योजना के अन्तर्गत भविष्य में अपंगता की गणना दि इम्पलाइस कम्पेनशेसन (एमेण्डमेन्ट) एक्ट—2009 में The Employees Compensation (Amendment) Act-2009 में दी गयी व्यवस्था/गणना के अनुसार किया जायेगा।
4. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होंगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।